

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2016/फाल्गुन 14, 1937 No. 582] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2016/PHALGUNA 14, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2016

का.आ. 673(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, अन्य उद्यमों में मताधिकार का 50 प्रतिशत से कम का प्रयोग करने वाले 'समूह' को उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अविध के लिए छूट प्रदान करती है।

[फा.सं.5/33/2007-सीएस(पार्ट)]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2016

S.O. 673(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in public interest, hereby exempts the 'Group' exercising less than fifty per cent. of voting rights in other enterprise from the provisions of section 5 of the said Act for a period of five years with effect from the date of publication of this notification in the official gazette.

[F. No. 5/33/2007-CS (Part)]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

1128 GI/2016 (1)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2016

का.आ. 674(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, ऐसे किसी उद्यम को जिसके नियंत्रण, शेयर, मताधिकार या आस्तियां अर्जित की जा रही हैं, जिसकी आस्तियों का मूल्य भारत में तीन सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं है या व्यापारावर्त एक हजार करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अविध के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों से छूट देती है।

[फा. सं. 5/33/2007-सीएस(पार्ट)]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2016

S.O. 674(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in public interest, hereby exempts an enterprise, whose control, shares, voting rights or assets are being acquired has either assets of the value of not more than rupees three hundred and fifty crores in India or turnover of not more than rupees one thousand crores in India from the provisions of section 5 of the said Act for a period of five years from the date of publication of the notification in the official gazette.

[F. No. 5/33/2007-CS (Part)]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.